

कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र

पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर
फोन नं 0761-2625622 web site elginhospital.com ई मेल elginhospitaljbp@gmail.com



/ आर.के.एस/2022/ 2413

अल्पकालीन सीमित निविदा की सूचना

जबलपुर, दिनांक
20.9.22

विषय:- चिकित्सालय के वार्ड नं 5 के ऊपर शैड के निर्माण कार्य के लिये अल्पकालीन सीमित निविदा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।
चिकित्सालय चिकित्सालय के वार्ड नं 5 के ऊपर शैड के निर्माण कार्य के लिये अल्पकालीन सीमित निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। कृपया निविदा बंद लिफाफों में 07 दिवस के अंदर उपलब्ध करावे।

—00—

परिशिष्ट - अ

S.No	Description	Details (Write details against each information)
1	Name of the firm	
2	Address of the firm	
3	Contact Details of the firm	
4	Pin Number with proofs Attached	
5	Registration in Jabalpur Madhya Pradesh Shops & Establishments	
6	GST Registration No with copy of certificate attached	

कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर में चिकित्सालय के वार्ड नं 5 के ऊपर शैड के निर्माण कार्य के लिये अल्पकालीन सीमित निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट - ब (अ)

कैमरे के रख रखाव की दरें

क्र	कार्य का नाम	साइज	कार्य की राशि (रुपये)
1	शैड के निर्माण कार्य	10X20	

नोट टैक्स शासन द्वारा निर्धारित रहेगा।

अल्पकालीन सीमित निविदा की सामान्य शर्तें

- चिकित्सालय शैड का निर्माण कार्य के लिये अल्पकालीन सीमित निविदा आमंत्रित की जा रही है।
- संबंधित वित्तीय कोटेशन की परिशिष्ट- एक सुपाठय शब्दों में भरकर प्रेषित किया जाना होगा। वित्तीय निविदा में किसी भी प्रकार का काटापीटी, ओवर राईटिंग अथवा अस्पष्ट अंक स्वीकार नहीं होंगे। लिफाफे को सीख बंद कर एव तीसरे लिफाफे पर कार्य का नाम एवं निविदाकार का नाम विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- अल्पकालीन सीमित निविदा खोली जाने पर सर्वप्रथम समस्त निविदाकारों के तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- किसी भी अल्पकालीन सीमित निविदा को स्वीकृत पूर्व या पश्चात अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि समान शर्तों एवं दरों पर अधिकतम 6 माह या नवीन समिति निविदा जो पहले होने तक के लिए आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
- निविदादाता को समस्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं संबंधित कार्य के लिये निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करना आवश्यक है। कार्य आदेश जारी किये जाने और कार्य संपादन के दौरान यदि किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदण्डों के स्तर में किसी प्रकार का समझौता किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जाएगी।
- निविदा न्यूनतम प्रभावित दर पर स्वीकृत की जायेगी।
- बजट की उपलब्धता के अनुसार बिलों का भुगतान किया जावेगा।
- अल्पकालीन समिति निविदा की समयावधि को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।
- किसी भी विवाद कि स्थिति में अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदाकार को बंधनकारी होगा।
- जी एस टी टी डी एस एवं टी डी एस शासन के दिशा निर्देश अनुसार कटौती की जायेगी।

पृ.क्रमांक/आर.के.एस/2022/

1 राकेश साहू डी.ई.ओ. स्थानीय चिकित्सालय की ओर लेख है कि निविदा सूचना चिकित्सालय की वेब साइट पर अपलोड करें।

अधीक्षक
रानी दुर्गावती चिकित्सालय
जबलपुर, दिनांक

अधीक्षक
रानी दुर्गावती चिकित्सालय
जबलपुर